न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 201/2017

अनवान :

1. कमला पुत्री भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा हाल निवासी हिंदवान तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– वादी

बनाम

1. केसर पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. माया पुत्री भानीराम पत्नी वीरसिंह जाति कटेवा निवासी भानगढ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. भतेरी पुत्री सिलोचना दोहित्री भानीराम पत्नी सुरेन्द्र पुत्रवधु रणजीत जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. करतारसिंह पुत्र बलवन्त जाति कटेवा निवासी भानगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल **: वादी**

वकील श्री रामस्वरूप देहडू **: प्रतिवादी सं0 3**

निर्णय **दिनांक :** 30.7.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाद भूमि रोही मौजा गढड़ा के खाता सं0 64/115 के खसरा सं0 66 की 2.150 है0 खसरा सं0 221 की 2.845 है0, खसरा सं0 354 की 1. 012 है0 खसरा सं0 354/497 की 0.582 है0 खसरा सं0 388 की 3.768 है0, खसरा सं0 421 की 2.795 है0 कुल 13.152 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें वादिया के पिता भानीराम पुत्र धनपत के नाम 22–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही गढ़ड़ा के खाता सं0 110/03 के खसरा सं0 145 की 2.492 है0 बारानी व रोही गढड़ा के खाता सं0 109/116 के खसरा सं0 144 की 0.847 है0 खसरा सं0 192/1 की 2.909 है0 कुल 3.756 है0 खातेदारी कृषि भूमि वादिया के पिता भानीराम पुत्र धनपत के नाम से खातेदारी स्थित है। वादिया के पिता भानीराम की दिनांक 21.06.2017 को गांव गढडा में मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान वादिया एवं प्रतिवादीगण है। प्रतिवादी सं0 1 केसर वादिया की माता है। प्रतिवादी सं0 2 मायावती, वादिया की सगी बहन है। प्रतिवादी भतेरी व करतारसिह वादिया के भान्जे–भान्जी है वादिया के भाई महेन्द्रसिंह व मोहरसिह अपने जीवन काल कुंवारे फौत हो गये थे। इसलिए उपर वर्णित कृषि भूमि में महेन्द्रसिंह एवं मोहरसिंह का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा। वादिया की बहन सिलोचना की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान पुत्री भतेरी व पुत्र करतारसिंह को पक्षकार बनाया गया है।

सहा.(फा.ट्रै.) भादरा (हनु.)

वादभूमि दादालाई पैत्रक व सुयक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद की कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी का वाद भूमि में जन्म से बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 वाद भूमि खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जो भानीराम के नाम दर्ज कृषि भूमि अकेले अपने चारों के नाम दर्ज करवाने पर आमादा है। प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि हो अकेले अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लेते है तो वादिया के अधिकारों का हनन होगा, इसलिए प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादिया एवं प्रतिवादीगण के बराबर के हिस्से में आई भूमि को किसी व्यक्ति, वित्तिय संस्था या अन्य किसी प्रकार से रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें व कृषि भूमि बाबत मौका की यथास्थिति बनाए रखे। अकेले के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं करावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद एंव प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादिया रोही मौजा गढड़ा के खाता सं0 64/115 कुल 13.152 है0, बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादिया के पिता भानीराम 22–1/2 हिस्सा व रोही गढड़ा के खाता सं0 110/03 में 2.492 है0 बारानी व रोही गढडा के खाता सं0 109/116 में 3.756 है0 कृषि भूमि में वादिया के पिता भानीराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादिया कमला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 केसर 1/4 प्रतिवादी 2 मायावती 1/4 हिस्सा सिलोचना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 करतारसिंह का सिलोचना के 1/4 हिस्सा में से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है ?

— वादिया

2. आया कि वादभूमि दादालाई पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद की कृषि भूमि है ?

— वादिया

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादिया में कमला पुत्री भानीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गढड़ा खाता सं0 109/116, 110/03 सम्वत् 2071 – 74 प्रदर्श 1 व खाता सं0 64/115 की प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादिया सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने अपनी बहस में कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक व सुयक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद की कृषि भूमि है। भानीराम की मृत्यु 21.06.2017 को हो चुकी है। वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का वाद भूमि में हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 वाद भूमि खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे व हकों की घोषणा की जावे।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादिया ने रोही मोजा ग्राम गढड़ा

के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में उनकी मृत्योपरांत अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में अभिधारियों को उतराधिकार का विधिक प्रावधान किया गया है व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 में उतराधिकार तथा कब्जे के अन्तरण की सूचना व धारा 135 में सूचना मिलने पर प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकरण में प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार न्यायालय तहसीलदार भादरा का है क्योंकि प्रकरण विरासतन उतराधिकार से सम्बन्धित है जिसका अनुतोष न्यायालय तहसीलदार भादरा देने में सक्षम है।

चूंकि प्रकरण में अनुतोष तहसीलदार भादरा द्वारा दिया जाना है, इसलिए तनकीयात के निर्णय की आवश्यकता नहीं है। उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 14.8.18..... को न्यायालय तहसीलदार भादरा के समक्ष उपस्थित होवें।

पत्रावली तहसीलदार भादरा को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान पुरा उसके समक्ष उपस्थित होने पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुए निर्णय पारित करें। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़